65

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– एफ2(8)/नि.प्र./2014–15/233 दिनांक :– 31/7/14

आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि निर्माण कार्यों के लगभग प्रत्येक अनुबन्ध में अत्यधिक मात्रा में अतिरिक्त मदें (Extra Items) व अतिरिक्त मात्राऐं (Additional quantities) सम्पादित करवाई जा रही हैं। ऐसा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति (A/F) व तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलनों (Estimates) को सावधानी पूर्वक तैयार न किये जाने के कारण हो रहा है।

प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राथमिक अनुमानों के आधार पर जारी की जाती है। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के पश्चात तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है जो कि :–

1. सन्दर्भित बैंच अंक स्थापित कर
2. विस्तृत सर्वेक्षण, अनुसंधान और कार्यचालन डिजाइनें/रेखांकन

के आधार पर तैयार किये गये विस्तृत तकनीकी अनुमानों के आधार पर जारी की जानी चाहिये, किन्तु खेद का विषय है कि मण्डल में समय–समय पर आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्देश जारी किये जाने के बावजूद अधिकांश प्रकरणों में मात्र औपचारिकता के रूप में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्राथमिक अनुमानों के आधार पर ही तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी जाती है।

वर्क्स कमेटी द्वारा विभिन्न बैठकों में इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है एवं 28.11.2005 की बैठक में तो ये निर्देश भी दिये गये कि आगे से तकनीकी स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को आरोप पत्र जारी कर दिये जावें।

उपरोक्त समस्त के बावजूद तकनीकी स्वीकृति जारी करने के कार्य को महत्व प्रदान न करना, निश्चित ही गंभीर विषय है।

अतः आदेशित किया जाता है कि आगे से तकनीकी स्वीकृति PWF/AR के नियम 289 एवं आयुक्त कार्यालय से इस बाबत जारी परिपत्र क्र. 59 दिनांक 12.05.98 (छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न) की अनुपालना कर ही जारी की जावें, जिससे निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मात्राओं (Additional quantities) एवं अतिरिक्त मदों (extra items) को न्यूनतम किया जा सके।

इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, I/II/HQ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/II/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त ....,
5. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड ....
6. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को सूचनार्थ एवं संबंधित के ई–मेल व वेबसाईट पर महत्वपूर्ण आदेशों पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित।

वित्तीय सलाहकार

65

18/5/98

RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR

Dated:- 12/5/98

No. 59

C I R C U L A R

SUB.: General Instruction regarding submitting the schemes/cases for Technical Sanction to Head Office.

It has been observed that while submitting the schemes/cases for Technical Sanction to Head Office, Dy.H.C. & Resident Engineer's are not enclosing the the required documents and details. It causes unnecessary delay to scrutinise the case.

In this regard I am directed by Chief Engineer,RHB that following points be also submitted with the Technical sanction:-

1- Actual bearing capacity of soil with angle of repose.

2- Detailed design of foundation and pillars (30 to 60 cm length)

3- General specifications being adopted for construction of each category of house.

4- A note be submitted by the Resident Engineer concerned regarding safety of plan/structure.

5- Design of R.C.C.components like roof slab,beams, lintels etc. including completebar bending, schedules,spacing with detailed drawings.

6- A brief note on development works like approach road,internal roads,water supply,[redacted] drainage, electrification etc. be submitted by Resident Engineer and supported by Site plan.

It is therefore enjoined upon all to submite the cases for Technical sanction in future,with above details also.

(S.K.BHATIA)
DY.H.C. & TA TO HOUSING [redacted]
COMMISSIONER:RHB:JAIPUR

Copy to following:-
1-PS to Chairman/Housing Commissioner,RHB,Jaipur.
2-The Chief Engineer,RHB,Jaipur.
3-Addl.Chief Engineer,I,II,III,RHB,Jaipur.
4-Dy.H.C.,JC-1,II,III/Kota/Jodhpur/Udaipur/P&M/
5-The Resident Engineer,RHB,Div.......

Dy.H.C.& TA Housing Commissioner